

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल

फोन नं 0755-2555726 फैक्स नं. 0755-2552899 ई-मेल mpprd.finance@mp.gov.in

= आदेश =


भोपाल, दिनांक /11/2019

क्रमांक/बजट/2019-20/ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये योजना क्रमांक-4610-स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान मद में विभाग को जारी आवंटन में से ग्राम पंचायतों में रपटा, पुलिया, बाउण्ड्रीवाल, आंगनवाड़ी, सामुदायिक भवन, घाट निर्माण, सी.सी.रोड़, पंचायत भवन, निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के लिए संबंधित जिला पंचायतों को राशि जारी किये जाने हेतु विभाग द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक/पं0रा0/निर्माण-85/2019/15828-29 दिनांक 18.11.2019, क्रमांक/पं0रा0/निर्माण-146/2019/14949-50 दिनांक 08.11.2019, क्रमांक/पं0रा0/निर्माण-157/2019/15752-53 दिनांक 14.11.2019, क्रमांक/पं0रा0/निर्माण-154/2019/15057-58 दिनांक 11.11.2019, क्रमांक/पं0रा0/निर्माण-153/2019/15024-25 दिनांक 11.11.2019 के अनुक्रम में राशि रूपये 56204500/- (राशि रूपये-पाँच करोड़ बासठ लाख चार हजार पाँच सौ मात्र) के आहरण की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय मांग संख्या-53-शीर्ष-3604-स्थानीय निकायो तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-{197-जनपद पंचायत को सहायता}-योजना क्रमांक-(4610)-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना(सबस्कीम)-#42-सहायक अनुदान-008-राज्य शासन द्वारा उदग्रहित और संग्रहित कर आदि का स्थानीय निकायों को समनुदेशन, के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

राशि का आहरण किया जाकर संलग्न सूची अनुसार जिला पंचायतों के बैंक खाता में राशि अंतरित किया जाना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा आदेशित)


सयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृष्ठांक/क्रमांक/बजट/2019-20/ 16193
प्रतिलिपि :-


भोपाल, दिनांक 23/11/2019

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को सूचनार्थ।
2. उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय) म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा म0प्र0भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल को सूचनार्थ।

निरंतर...

// 02 //

7. संयुक्त संचालक(निर्माण) पंचायत राज संचालनालय की ओर आपके उपरोक्त प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक/पं0रा0/ निर्माण-85/2019/15828-29 दिनांक 18.11.2019, क्रमांक/पं0रा0/निर्माण-146/2019/14949-50 दिनांक 08.11.2019, क्रमांक/पं0रा0/निर्माण-157/2019/15752-53 दिनांक 14.11.2019, क्रमांक/पं0रा0/निर्माण-154/2019/15057-58 दिनांक 11.11.2019, क्रमांक/पं0रा0/निर्माण-153/2019/15024-25 दिनांक 11.11.2019के संदर्भ में सूचनार्थ।
8. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, मुख्यालय की ओर एक अतिरिक्त प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. निज सहायक आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पंचायत राज संचालनालय म.प्र.भोपाल

वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना क्रमांक-4610(197)0103-स्टाम्प शुल्क मद से रपटा, पुलिया, बाउण्ड्रीवाल, आंगनवाड़ी, सामुदायिक भवन, घाट निर्माण, सी.सी.रोड़, पंचायत भवन, निर्माण की द्वितीय किश्त का जिला पंचायतों को अंतरण

(राशि रूपये में)

S No.	District Name	Account No	IFSC Code	Amount
1	BHOPAL	'900310110011039	BKID0009003	9981800
2	DINDORI	'3618815139	CBIN0283015	9044000
3	RAISEN	'3677706694	CBIN0280734	14088400
4	REWA	'373002010893995	UBIN0537306	9459100
5	SEONI	'3618696947	CBIN0281049	13631200
योग(राशि-पाँच करोड़ बासठ लाख चार हजार पाँच सौ मात्र)				56204500

M. Pr. Bhopal
संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
म.प्र.भोपाल